झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

तृतीय झारखण्ड विधान सभा

त्रयोदश–सत्र
वर्ग–03

07 फाल्गुन, 1935 (श0)

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, बुधवार, दिनांक :----------को
26 फरवरी, 2014 (ई0)

झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

कमांक	विभागों को सदस्यों का नाम संसूचित को गई सां0सं0		संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
(63)–	ग्राम्य–31	श्री विदेश सिंह	पूल का निर्माण।	ग्रामीण कार्य	19.02.14
(64)–	ग्राम–16	श्री कृष्णानन्द त्रिपाठी	अनुमंडल का निर्माण।	ग्रामीण विकास	19.02.14
(65)–	ग्राम्य–29	श्री हरिकृष्ण सिंह	पथ की जाँच एवं कालीकरण।	ग्रामीण कार्य	19.02.14
(66)–	ग्राम्य–08	श्री फूलचन्द मण्डल	पथ का निर्माण।	ग्रामीण कार्य	16.02.14
(67)–	ग्राम्य–28	श्री कमलेश उँराव	निर्माण कार्य पूर्ण कराना।	ग्रामीण कार्य	18.02.14
(68)–	पथ–04	श्री सत्यानन्द झा	पथ का पक्कीकरण।	पथ निर्माण	18.02.14
(69)–	पेय–02	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा	ग्रामों में जलापूर्ति।	पेयजल एवं स्वच्छता	16.02.14
(70)–	ग्राम्य–14	श्री कमल किशोर भगत	सड़कों का निर्माण कार्य प्रारंभ करना।	ग्रामीण कार्य	16.02.14
(71)–	पथ–02	श्री सत्यानन्द झा	पूल का निर्माण।	पथ निर्माण	16.02.14
(72)–	ग्राम्य–03	श्रीमती सुधा चौधरी	पथ का कालीकरण।	ग्रामीण कार्य	16.02.14
(73)–	ग्राम्य–15	श्री अरूण मण्डल	बहुडुब्बी नदी पर पुल का निर्माण।	ग्रामीण कर्य	16.02.14
(74)–	ग्राम–09	श्री हेमलाल मुर्मू	इंदिरा आवास निर्माण को पूरा कराना।	ग्रामीण विकास	18.02.14

कृ0पृ030....2

01	02	03	04	05	06
(75)-	पेय-03	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा	माहिल गाँव में जलापूर्ति करना।	पेयजल एवं स्वच्छता	16.02.14
(76)-	ग्राम्य-04	श्री जगरनाथ महतो	पथ का निर्माण।	ग्रामीण कार्य	16.02.14
(77)-	न0-08	श्रीमती विमला प्रधान	जलापूर्ति व्यवस्था दुरूस्त करना।	नगर विकास	19.02.14
(78)-	ग्राम्य-13	श्री विनोद कुमार सिंह	पूल का निर्माण।	ग्रामीण कार्य	16.02.14
(79)-	ग्राम्य-23	श्री अमित कुमार यादव	पथों की मरम्मति।	ग्रामीण कार्य	18.02.14
(80)-	पथ-01	श्री समरेश सिंह	एन0एच0-32 का जिर्णोद्धार।	पथ निर्माण	16.02.14
(81)-	पथ-09	श्री संजय कुमार सिंह यादव	पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	19.02.14
(82)-	पथ-03	श्री विद्युत वरण महतो	सड़क का निर्माण।	पथ निर्माण	18.02.14
(83)-	ग्राम्य-25	श्री सरफराज अहमद	सड़क निर्माण कार्य की उच्चस्तरीय जाँच।	ग्रामीण कार्य	18.02.14
(84)-	ग्राम-03	श्रीमती सुधा चौधरी	पुलिया का निर्माण।	ग्रामीण विकास	16.02.14
(85)-	पेय-05	श्री रामदास सोरेन	जलमीनार का निर्माण।	पेयजल एवं स्वच्छता	18.02.14
(86)-	पथ-06	श्री लक्ष्मण गिलुवा	पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई।	पथ निर्माण	18.02.14
(87)-	ग्राम-11	श्री बइकुवार गागराई	सड़कों का जिर्णोद्धार।	ग्रामीण विकास	18.02.14
(88)-	पथ-10	श्री विदेश सिंह	पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	19.02.14
(89)-	ग्राम-10	श्री जय प्रकाश सिंह भोगता	प्रखण्ड विकास पदा0 का पदस्थापन।	ग्रामीण विकास	18.02.14
(90)-	न0-09	श्री संजय कुमार सिंह यादव	सामुदायिक भवन का निर्माण।	नगर विकास	19.02.14
(91)-	न0-01	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी	घाट का जिर्णोद्धार।	नगर विकास	16.02.14
(92)-	ग्राम्य-12	श्री अरूण मण्डल	पूल का निर्माण।	ग्रामीण कार्य	16.02.14
(93)-	पथ-08	श्री अरूप चटर्जी	रेल ओवर ब्रिज का निर्माण।	पथ निर्माण	18.02.14
(94)-	ग्राम्य-02	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	पथ का निर्माण।	ग्रामीण कार्य	14.02.14
(95)-	न0-04	श्री कृष्णानन्द त्रिपाठी	पेयजल आपूर्ति योजना का कार्य प्रारंभ कराना।	नगर विकास	18.02.14

कृ0पृ030....3

01	02	03	04	05	06
(96)-	ग्राम-02	श्री जगरनाथ महतो	ओवरब्रिज का निर्माण।	ग्रामीण विकास	16.02.14
(97)-	पथ-11	श्री रामचन्द्र बैठा	पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	19.02.14
(98)-	ग्राम-07	श्री लक्ष्मण गिलुवा	प्रखण्ड का निर्माण।	ग्रामीण विकास	16.02.14
(99)-	पेय-09	श्री सौरभ नारायण सिंह	पानी उपलब्ध कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	19.02.14
(100)-	पेय-01	श्री अनन्त प्रताप देव	पानी टंकी का निर्माण।	पेयजल एवं स्वच्छता	14.02.14
(101)-	ग्राम्य-26	श्री सरफराज अहमद	सड़क निर्माण सामग्री की जाँच।	ग्रामीण कार्य	18.02.14
(102)-	ग्राम्य-07	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी	कनीय अभियन्ता पर कार्रवाई ।	ग्रामीण कार्य	16.02.14
(103)-	ग्राम-04	श्री समरेश सिंह	प्रखण्डों का निर्माण।	ग्रामीण विकास	16.02.14
(104)-	ग्राम-17	श्री हरिकृष्ण सिंह	पदाधिकारी का पदस्थापन।	ग्रमीण विकास	19.02.14
(105)-	ग्राम-12	श्री बड़कुवार गागराई	सड़कों का जिर्णोद्धार।	ग्रामीण विकास	18.02.14
(106)-	न0-02	श्री हेमलाल मुर्मू	नाली निर्माण कार्य पूरा कराना।	नगर विकास	18.02.14
(107)-	पथ-05	श्री जय प्रकाश सिंह भोगता	पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	18.02.14
(108)-	पेय-04	श्री उमाकांत रजक	शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	16.02.14
(109)-	ग्राम्य-24	श्री कमलेश उँराव	पथ की मरम्मति।	ग्रामीण कार्य	18.02.14
(110)-	पेय-08	श्री अरूप चटर्जी	जलापूर्ति योजना प्रारंभ कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	18.02.14
(111)-	ग्राम्य-11	श्री प्रदीप यादव	निर्माण कार्य की उच्चस्तरीय जाँच।	ग्रामीण कार्य	16.02.14
(112)-	ग्राम्य-09	श्री फूलचंद मण्डल	पथ का निर्माण।	ग्रामीण कार्य	16.02.14
(113)-	ग्राम-18	श्री रामचन्द्र बैठा	पथ की मरम्मति एवं चौड़ीकरण।	ग्रामीण विकास	19.02.14
(114)-	ग्राम-01	श्री अनन्त प्रताप देव	पुल का निर्माण।	ग्रामीण विकास	14.02.14

राँची
दिनांक-26.02.2014 ई0।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

कृ0पृ030.....4

ज्ञाप संख्याः-.....752...../वि0स0,राँची,दिनांक-.....22.....फरवरी,2014 ई0।

प्रतिलिपि :-झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/मुख्यमंत्री/मंत्रिगण/मुख्य सचिव तथा राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/02/14

(कमलेश कुमार दीक्षित)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-.....752...../वि0स0,राँची,दिनांक-.....22.....फरवरी,2014 ई0।

प्रतिलिपि :-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/सचिवीय कार्यालय को कमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/प्रभारी सचिव महोदय एवं अपर सचिव(प्रश्न)को सूचनार्थ प्रेषित।

गोपी कृष्ण/

22/02/14

(कमलेश कुमार दीक्षित)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

21.02

(63)

श्री विदेश सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.02.2014 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम्य–31

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री विदेश सिंह माननीय स0वि0स0	**श्री साईमन मरांडी, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।**
1 क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत पांकी–लावालंग–बगरा पथ में चाको नदी (तिग्दा ग्राम) पर पुल नहीं है,	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि पुल नहीं रहने के कारण ग्रामीणों को यातायात में काफी कठिनाईयाँ उत्पन्न होती है,	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार वर्णित स्थान पर चाको नदी पर पुल निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नांकित पुल वर्त्तमान वित्तीय वर्ष की कार्य योजना में शामिल नहीं है। आगामी वित्तीय वर्ष में बजट की उपलब्धता के आधार पर पुल निर्माण की कार्रवाई पर विचार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग।

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–70 / 2014 / ग्रा0का0 688 राँची, दिनांक–24-02-14

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–586 वि0स0 दिनांक 19.02.2014 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/14

(जनमेजय ठाकुर)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–71 / 2014 / ग्रा0का0 688 राँची, दिनांक– 24-02-14

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

24/2/14

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–71 / 2014 / ग्रा0का0 688 राँची, दिनांक–24-02-14

प्रतिलिपिः– अवर सचिव (प्रभारी विधानमंडलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

24/2/14

सरकार के उप सचिव

(64)

माननीय स०वि०स० श्री कृष्णानन्द त्रिपाठी द्वारा दिनांक 26.02.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम–16 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि चतरा जिला का ईटखोरी प्रखण्ड का क्षेत्रफल 35 वर्ग कि०मी० एवं आबादी 60 हजार से अधिक है, यह अनुमण्डल का दर्जा प्राप्त करने की सभी अर्हता को पूरी करता है;	ईटखोरी प्रखण्ड का क्षेत्रफल 163.74 वर्ग कि०मी० एवं आबादी 74,771 है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार ईटखोरी को अनुमण्डल बनाना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	चतरा जिलान्तर्गत ईटखोरी प्रखण्ड को अनुमण्डल का दर्जा दिये जाने के संबंध में विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन की मांग संबंधित आयुक्त/उपायुक्त से की गयी है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रशासनिक इकाईयों के पुर्नगठन के संबंध में गठित उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा प्राप्त होने पर प्रशासनिक व्यवहारिकता एवं अन्य वैधानिक बिन्दुओं के परीक्षण हो जाने के उपरांत ही राज्य सरकार के द्वारा इस पर निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/झा०वि०स०–15–15/2014 का०–1857/राँची, दिनांक– 24/02/2014

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–540, दिनांक 19.02.2014 के प्रसंग में 200 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/14

(यतीन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

(65)

श्री हरिकृष्ण सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.02.14 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम्य–29

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री हरिकृष्ण सिंह, माननीय स0वि0स0	**श्री साईमन मराण्डी, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।**
1. क्या यह बात सही है कि लातेहार जिलान्तर्गत मनिका प्रखण्ड के ग्राम–बन्दुआ से हेसातु विद्यालय तक एन0पी0सी0सी0 द्वारा रोड का निर्माण एवं कालीकरण कराया जा रहा है;	स्वीकारात्मक। विषयांकित रोड का निर्माण कार्य एन0पी0सी0सी0 द्वारा किया जा रहा है। जो अप्रैल 2013 को प्रारंभ हुआ है और अभी ग्रेड–2 का कार्य चल रहा है।
2. क्या यह बात सही है कि 03 कि0मी0 रोड बन्दुआ तीन मुहान से बन्दुआ सिवान तक का निर्माण एवं कालीकरण छोड़ दिया गया है;	अस्वीकारात्मक। कालीकरण का कार्य अभी नहीं प्रारंभ हुआ है। वर्त्तमान में ग्रेड–2 का कार्य किया जा रहा है। इसके पश्चात् ग्रेड–3 का कार्य एवं कालीकरण का कार्य किया जायेगा।
3. क्या यह बात सही है कि रोड निर्माण एवं कालीकरण में घोर अनियमितता एवं घटिया सामग्री लगाया गया है;	सड़क के निर्माण का कार्य अभी प्रगति पर है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार एन0पी0सी0सी0 द्वारा रोड के कराये जा रहे कार्य की जाँच तथा 03 कि0मी0 छोड़े गये रोड का कालीकरण कराना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	इस पथ की जाँच तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लातेहार एवं एन0पी0सी0सी0 के पदाधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। एन0पी0सी0सी0 इन तथ्यों से अवगत है एवं सुधार हेतु संवेदक को निदेश दिया है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–320 / 14 ग्रा0का0वि0 702 राँची / दिनांक– 24-02-14

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–642, दिनांक–19.02.14 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/14
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–320 / 14 ग्रा0का0वि0 702 राँची / दिनांक– 24-02-14

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण कार्य विभाग) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

24/2/14
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–320 / 14 ग्रा0का0वि0 702 राँची / दिनांक– 24-02-14

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

24/2/14
सरकार के अवर सचिव।

(66)

श्री फूलचंद मंडल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.02.14 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम्य–08

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
–श्री फूलचंद मंडल, माननीय स0वि0स0	श्री साईमन मराण्डी, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के बलियापुर प्रखण्ड अन्तर्गत प्रधानखंता दामोदरपुर–चालधुआ होते हुए दांरदा पथ की स्थिति अत्यंत ही जर्जर है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि इस पथ से प्रतिदिन लगभग सैकड़ों वाहनों ग्रामीणों का आवागमन होता है तथा यह पथ प्रधानखंता रेलवे स्टेशन को जोड़ती है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त पथ का निर्माण चालु वित्तीय वर्ष में कराना चाहती है, यदि हॉ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त योजना लिया जाना संभव नहीं है। अगले वित्तीय वर्ष में पर्याप्त निधि प्राप्त होने पर ही कार्रवाई संभव है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–278 / 14 ग्रा0का0वि0 697 राँची / दिनांक– 24-02-14

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–243, दिनांक – 16.02.14 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/14
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–278 / 14 ग्रा0का0वि0 697 राँची / दिनांक– 24-02-14

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण कार्य विभाग) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

24/2/14
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–278 / 14 ग्रा0का0वि0 697 राँची / दिनांक– 24-02-14

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

24/2/14
सरकार के अवर सचिव।

श्री कमलेश उराँव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.02.14 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न
सं0–ग्राम्य–28

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री कमलेश उराँव, माननीय स0वि0स0	श्री साईमन मराण्डी, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।
1. क्या यह बात सही है कि गुमला जिलान्तर्गत डुमरी प्रखण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत विभिन्न सड़कों की स्वीकृति वर्ष 2010–11 में दी गई थी;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत् 1. रातासिल्ली से हुटाप 4 कि0मी0 2. तेतरटोली से सीधपुर 3 कि0मी0 3. हुटाप से हथहथा 2 कि0मी0 4. हुटाप से शिरमी 2.1 कि0मी0 5. जैरागी से दाबु 4 कि0मी0 6. जैरागी से साफी 3.40 कि0मी0 7. डुमरी से करमदोन 5.76 कि0मी0 8. डुमरी से पाकटोली 2.5 कि0मी0 9. चिरैया से खुटाकोना 5.8 कि0मी0 तक का सड़क का निर्माण कार्य संवेदक एवं पदाधिकारियों की मिली–भगत से आधा अधुरा छोड़कर बंद कर दिया गया;	आंशिक स्वीकारात्मक। इन पथो में से जैरागी से दाबु पथ एवं जैरागी से साखु पथ का कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्य सात पथों का बराबर निर्देश के बावजूद संवेदक द्वारा समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया गया। फलस्वरूप दिनांक–25.01.2014 को राज्य स्तरीय बैठक में विभागीय सचिव द्वारा दण्डसहित एकरारनामा विखण्डन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार संवेदक एवं पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नही तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–307 / 14 ग्रा0का0वि0 704 राँची / दिनांक– 24.02.14

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–496, दिनांक–18.02.14 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–307 / 14 ग्रा0का0वि0 704 राँची / दिनांक– 24.02.14

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण कार्य विभाग) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–307 / 14 ग्रा0का0वि0 704 राँची / दिनांक– 24.02.14

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

(68)

श्री सत्यानन्द झा (बाटुल), माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.02.14 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–पथ–04

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री सत्यानन्द झा (बाटुल), माननीय स0वि0स0	श्री साईमन मराण्डी, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।
1. क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिले के फतेहपुर प्रखण्ड अन्तर्गत बामनडीहा, करजुरी से टेसजुड़िया पथ वर्ष–1995 से क्षतिग्रस्त है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि वर्ष–2000 से उक्त पथ पर बोल्डर बिछाये जाने के बाद भी आज तक पक्कीकरण का कार्य नहीं किये जाने के कारण उक्त क्षेत्र के लोगों को आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पथ का पक्कीकरण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	डी0पी0आर0 निर्माण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–321 / 14 ग्रा0का0वि0 696 राँची / दिनांक– 24-02-14

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–435, दिनांक–18.02.14 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/14
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–321 / 14 ग्रा0का0वि0 696 राँची / दिनांक– 24-02-14

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण कार्य विभाग) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

24/2/14
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–321 / 14 ग्रा0का0वि0 696 राँची / दिनांक– 24-02-14

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

24/2/14
सरकार के अवर सचिव।

(69)

श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 26.2.14 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–पेय–02 का उत्तर

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –		श्री जयप्रकाश भाई पटेल (विभागीय) मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर –
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा खूँटी जिलान्तर्गत खूँटी, मुरहू एवं कर्रा प्रखंड के सभी पंचायतों में दो–दो डीप बोरिंग कराया गया है।	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि खूँटी, मुरहू एवं कर्रा प्रखंड के कुल 36 ग्रामों में अपेक्षाकृत कम पानी उपलब्ध हुआ है।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। 36 ग्रामों में नहीं बल्कि 45 ग्रामों में Discharge 2000 ली0/घंटा से कम है जिसपर लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना नहीं बनाई जा सकती है। इन स्त्रोतों पर डीप वेल हैण्ड पम्प लगाकर जलापूर्ति दी जा रही है।
3	क्या ये बात सही है कि कुल 36 ग्रामों में से 14 ग्रामों में लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत पेयजलापूर्ति का कार्य प्रगति पर है तथा 22 ग्रामों में बोरिंग होने के बाद यथा स्थिति बनी हुई है।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। उक्त तीन प्रखंडों में कुल 28 उच्च प्रवाही नलकूप से 5000 लीटर/घंटा से अधिक जल प्रवाह प्राप्त हुआ है। प्रथम चरण में कुल 28 में से 14 उच्च प्रवाही नलकूप में लघु ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना का कार्य चल रहा है। शेष 14 पर अगले वित्तीय वर्षों में लघु ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना का कार्य प्रारंभ किया जाएगा।
2	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खूँटी, मुरहू एवं कर्रा प्रखंड के उक्त 22 ग्रामों में पेयजलापूर्ति कराने का विचार रखती है, हॉ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक–8/ता0प्र0–10/13– 674 दिनांक– 21/2/14

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांक–255/वि0स0 दिनांक 16.2.14 के कम में उत्तर की 200 प्रति अग्रसारित।

21.02.14
(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव
21/02/14

(70)

श्री कमल किशोर भगत, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.02.14 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम्य–14

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री कमल किशोर भगत, माननीय स0वि0स0	**श्री साईमन मराण्डी, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।**
1. क्या यह बात सही है कि लोहरदगा जिला में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सड़कों का निर्माण प्रारंभ नहीं हो पाया है एवं मेरे द्वारा अनुशंसित 18 R.E.O सड़कों में से 8 सड़कों की ही प्रशासनिक स्वीकृति मिली है, जबकि यह अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है;	आंशिक स्वीकारात्मक। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत वर्ष 2011–12 फेज–9 में स्वीकृत कुल 7 (सात) पथों में कार्य चल रहा है। वर्ष 2012–13 फेज–10 में स्वीकृत 1 (एक) पथ है जिस पर रैयती जमीन पर विवाद के चलते कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। जमीन विवाद सुलझते ही कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा। माननीय विधायक द्वारा पी0एम0जी0एस0वाई0 के तहत् किसी पथ का अनुशंसा प्राप्त नहीं है।
2. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार लोहरदगा जिला में PMGSY सड़कों का निर्माण कार्य प्रारंभ कराने एवं बचे 10 R.E.O सड़कों की प्रशासनिक स्वीकृति दिये जाने का विचार रखती है, हॉ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	राज्य सम्पोषित योजनान्तर्गत वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के लिए उपबंधित राशि के अनुसार योजनाओं की स्वीकृति की जा चुकी है। अगले वित्तीय वर्ष में स्वीकृत योजनाओं के लिए उपबंधित राशि के अतिरिक्त बजटीय उपबंध प्राप्त होने पर इस योजना पर विचार किया जाना संभव होगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–280 / 14 ग्रा0का0वि0 699 राँची / दिनांक– 24-02-14

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–245, दिनांक–16.02.14 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–280 / 14 ग्रा0का0वि0 699 राँची / दिनांक– 24-02-14

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण कार्य विभाग) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–280 / 14 ग्रा0का0वि0 699 राँची / दिनांक– 24-02-14

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

(72)

श्रीमती सुधा चौधरी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.02.14 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न
सं0–ग्राम्य–03

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्रीमती सुधा चौधरी, माननीय स0वि0स0	श्री साईमन मराण्डी, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत प्रखण्ड छतरपुर के ग्राम तेलाड़ी से नावाबाजार प्रखण्ड मुख्यालय तक 05 कि0मी0 ग्रेड–1 पथ है;	स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त पथ क्षेत्र की जनता के लिए आवागमन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तथा इसके कालीकरण हो जाने से इस पथ से आवागमन बढ़ेगा साथ ही जिला मुख्यालय मेदिनीनगर की दूरी 15 कि0मी0 घट जायेगी और छतरपुर और नावाबाजार प्रखण्ड मुख्यालय पक्की सड़क से जुड़ जायेगा।	स्वीकारात्मक
3. क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त सड़क उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में स्थित है तथा सुरक्षित आवागमन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है;	स्वीकारात्मक
4. यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उपर्युक्त पथ का कालीकरण कराने का विचार रखती है, हॉ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के लिए उपबंधित राशि के अनुसार योजनाओं की स्वीकृति की जा चुकी है। अगले वित्तीय वर्ष में स्वीकृत योजनाओं के लिए उपबंधित राशि के अतिरिक्त बजटीय उपबंध प्राप्त होने पर इस योजना पर विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–275 / 14 ग्रा0का0वि0 710 राँची / दिनांक– 24-02-14

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को उनके ज्ञापांक–253, दिनांक–16.02.14 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–275 / 14 ग्रा0का0वि0 710 राँची / दिनांक– 24-02-14

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण कार्य विभाग) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–275 / 14 ग्रा0का0वि0 710 राँची / दिनांक– 24-02-14

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

श्री अरूण मंडल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.02.2014 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम्य–15

(73)

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री अरूण मंडल, माननीय स0वि0स0	**श्री साईमन मरांडी, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।**
1 क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला अन्तर्गत प्रखण्ड उधवा के पंचायत मध्य प्यारपुर में बाजार पाड़ा के निकट बहुडुब्बी नदी पर पुल निर्माण नहीं होने से आवागमन अवरूद्ध है, जिससे पचास हजार जनता प्रभावित है,	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त नदी पर पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नांकित पुल वर्त्तमान वित्तीय वर्ष की कार्य योजना में शामिल नहीं है। आगामी वित्तीय वर्ष में बजट की उपलब्धता के आधार पर पुल निर्माण की कार्रवाई पर विचार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग।

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–55 / 2014 / ग्रा0का0 692 राँची, दिनांक–24-02-14

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–246 वि0स0 दिनांक 16.02.2014 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/14

(जनमेजय ठाकुर)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–55 / 2014 / ग्रा0का0 692 राँची, दिनांक–24-02-14

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

24/2/14

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–55 / 2014 / ग्रा0का0 692 राँची, दिनांक–24-02-14

प्रतिलिपिः– अवर सचिव (प्रभारी विधानमंडलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

24/2/14

सरकार के उप सचिव

दिनांक–26.02.2014 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम–09

प्रश्नकर्त्ता –श्री हेमलाल मुर्मू, स0वि0स0	उत्तरदाता– श्री कृष्णानन्द त्रिपाठी, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1. क्या यह बात सही है कि राज्य में विगत दो वर्षो में इंदिरा आवासों के अंतर्गत स्वीकृत 1,65,269 आवासों में से अब तक करीब 12 आवास गिरिडीह में बनाये गए हैं, शेष 1,65,257 आवास निर्माणाधीन है और इस मद में उपलब्ध 492 करोड़ 88 लाख 74 हजार 8 सौ रु0 में से 67 करोड़ 47 लाख रुपये ही खर्च हुए हैं ।	अंश अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में राज्य के इंदिरा आवास योजना अंतर्गत कुल–2,06,156 आवास स्वीकृत किये गए हैं जिसमें गिरिडीह जिला के लिए 14,286 इंदिरा आवास स्वीकृत किये गए हैं। इन दो वर्ष में राज्य में कुल–1,18,324 ईकाई आवास पूर्ण हो गए हैं तथा शेष निर्माणाधीन है। गिरिडीह जिला में पूर्ण आवासों की संख्या–9808 हैं। वर्ष 2012–13 में राज्य में कुल उपलब्ध राशि रु0 6,35,02.38 लाख राशि के विरुद्व रु0 43,419.76 लाख की राशि व्यय की गयी है तथा वर्ष 2013–14 में कुल उपलब्ध राशि रु0 4,67,94.64 लाख के विरुद्व जनवरी 2014 तक रु0 318,36.42 लाख की राशि व्यय की गयी है।
2. यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार राज्य में इंदिरा आवास के निर्माण को शीघ्र पूरा कराने और लक्ष्य प्राप्ति में विफल पदाधिकारियों के विरुद्व कार्रवाई करने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक, नही तो क्यों?	अस्वीकारात्मक।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांकः–1336....../ /रॉंची, दिनांकः–25·02·14
08–11/2014

प्रतिलिपिः–श्री हेमलाल मुर्मू, स0वि0स0/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, रॉंची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–452 दिनांक–18.02.2014 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित ।

25/02/14
सरकार के विशेष सचिव ।

75

श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, मा0 स0 वि0 स0 से प्राप्त दिनांक– 26.02.14 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–पेय–03.

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –		श्री जयप्रकाश भाई पटेल (विभागीय) मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर –
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि खूँटी जिलान्तर्गत मुरहू प्रखंड के माहिल गॉव में पेयजल की सुविधा नहीं होने के कारण वहॉ की जनता को काफी असुविधा हो रही है,	अस्वीकारात्मक है। माहिल गॉव की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 1631 है। इस गॉव में कुल–28 चापाकल है जिसमें 24 चालू स्थिति में है। इस प्रकार 58 अदद व्यक्ति पर एक चापाकल है जबकि भारत सरकार के मानक के अनुसार 250 व्यक्ति पर एक चापाकल का प्रावधान है। माहिल गॉव के जाम टोली में एक अदद लघु ग्रामीण जलापूर्ति येाजना का निर्माण किया गया है। विद्युत संयोजन हेतु ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के द्वारा आवेदन किया गया है। विद्युत संयोजन प्राप्त होते ही जलापूर्ति शुरू हो जायेगी।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार माहिल गॉव में ग्रामीण जलापूर्ति के तहत जलापूर्ति कराने का विचार रखती है, हॉ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड़ सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक–7/ता0प्र0–07/13– 856 दिनांक– 20/2/14

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांक–254/वि0स0 दिनांक 16.2.14 के कम में उत्तर की 200 प्रति अग्रसारित।

20.02.14

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

(76)

श्री जगरनाथ महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.02.14 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न
सं0–ग्राम्य–04

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री जगरनाथ महतो, माननीय स0वि0स0	श्री साईमन मराण्डी, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।
1. क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत नावाडीह प्रखण्ड में पैंक पंचायत के मानपुर मोड़ से लाही टोला वीरमुण्डू होते हुए जोड़ा केन्द्र मेन रोड तक पथ निर्माण कार्य नहीं हुआ है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त पथ के निर्माण नहीं होने के कारण आम जनता को आवागमन में काफी असुविधा होती है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त पथ का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त योजना लिया जाना संभव नहीं है। अगले वित्तीय वर्ष में पर्याप्त निधि प्राप्त होने पर ही विचार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–283 / 14 ग्रा0का0वि0 728 राँची / दिनांक– 25-02-14

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–238, दिनांक–16.02.14 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/14

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–283 / 14 ग्रा0का0वि0 728 राँची / दिनांक– 25.02.14

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण कार्य विभाग) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/2/14

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–283 / 14 ग्रा0का0वि0 728 राँची / दिनांक– 25-02-14

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/2/14

सरकार के अवर सचिव।

77

श्रीमती विमला प्रधान, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–26.02.2014 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न–न–08 का उत्तरः–

सूचना	उत्तर
1) क्या यह बात सही है कि सिमडेगा नगर को पेयजलापूर्त्ति केलाघाघ डैम से की जाती हैं, इसमें लगे Water Filter एवं Stablizer ऐसे सारे यंत्र काफी पुराने हैं, एवं हमेशा खराब होते रहते हैं।	स्वीकारात्मक है।
2) क्या यह बात सही है कि सिमडेगा नगर को पेयजलापूर्त्ति के लिए नया DPR बनाने के लिए Consultant नियुक्त किया गया है। परन्तु नगर विकास विभाग ने DPR की स्वीकृति नहीं दी है।	Consultant से प्राप्त DPR पर तकनीकी स्वीकृति पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता स्तर पर लंबित है। नगर विकास विभाग को डी0पी0आर0 प्राप्त नहीं है।
3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सराकर सिमडेगा नगर की जलापूर्त्ति व्यवस्था दुरूस्त करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	DPR पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होकर विभाग को प्राप्त होने भूमि की उपलब्धता एवं संबंधित विभाग का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर प्रशासनिक स्वीकृति एवं राशि विमुक्ति की कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास विभाग

ज्ञापांकः– 5/न0वि0/वि0स0तां0–~~06~~ 10/2014 –800/न0वि0वि0 राँची, दिनांक :– 22-02-14.

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके पत्र सं0–583, दिनांक–19.02.2014 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/02/2014

सरकार के उप सचिव।

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.02.2014 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम्य–13

(78)

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0	**श्री साईमन मरांडी, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।**
1 क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला अन्तर्गत बिरनी प्रखण्ड बत्लोहिया नदी में मनिहारी घाट पर, बराकर नदी में दलांगी घाट पर व सरिया प्रखण्ड में खडुइया नदी के बरवाडीह घाट पर, बकरवा नदी में बकराडीह घाट पर एवं बरसोती नदी में कर्णोडीह घाट पर पुल की आवश्यकता है,	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त स्थलों पर पुल निर्माण का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नांकित पुल वर्त्तमान वित्तीय वर्ष की कार्य योजना में शामिल नहीं है। आगामी वित्तीय वर्ष में बजट की उपलब्धता के आधार पर पुल निर्माण की कार्रवाई पर विचार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग।

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–57 / 2014 / ग्रा0का0 693 राँची, दिनांक–24-02-14

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–242 वि0स0 दिनांक 16.02.2014 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/14

(जनमेजय ठाकुर)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–57 / 2014 / ग्रा0का0 693 राँची, दिनांक–24-02-14

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

24/2/14

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–57 / 2014 / ग्रा0का0 693 राँची, दिनांक– 24-02-14

प्रतिलिपिः– अवर सचिव (प्रभारी विधानमंडलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

24/2/14

सरकार के उप सचिव

(79)

श्री अमित कुमार यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.02.14 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम्य–23

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री अमित कुमार यादव, माननीय स0वि0स0	**श्री साईमन मराण्डी, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।**
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत ईचाक प्रखण्ड के ईचाक बाजार मनाय तथा बरकट्ठा प्रखण्ड के तुर्कबाद से बरकनागांगो एक महत्वपूर्ण पथ है, जो अत्यंत ही जर्जर अवस्था में है;	स्वीकारात्मक।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार लोकहित में उपर्युक्त पथों की मरम्मति अविलंब कराना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त योजना लिया जाना संभव नहीं है। अगले वित्तीय वर्ष में पर्याप्त निधि प्राप्त होने पर ही विचार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–292/14 ग्रा0का0वि0 703 राँची/दिनांक– 24-02-14

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–442, दिनांक–18.02.14 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–292/14 ग्रा0का0वि0 703 राँची/दिनांक– 24-02-14

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण कार्य विभाग) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–292/14 ग्रा0का0वि0 703 राँची/दिनांक– 24-02-14

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

(80)

मान0, स0वि0स0, श्री समरेश सिंह द्वारा दिनांक 26.02.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0– पथ 01 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1 क्या यह बात सही है कि बोकारो इस्पांताचल एवं धनबाद कोयलाचंल के लाईफ लाईन कहलाने वाली एन0एच0 – 32 सड़क की हालत पेटरवार से गोविन्दपुर तक काफी जर्जर है तथा इस सड़क पर प्रतिदिन हजारों वाहन गुजरते है; 2 यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार एन0एच0 – 32 मार्ग का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	आंशिक स्वीकारात्मक। राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–32 के जर्जर पथांशों का निर्माण से संबंधित कार्य यथा (i) कि0मी0 10 से 26 का राईडिंग क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट कार्य (आई0आर0क्यू0पी0 कार्य) से संबंधित निविदा प्राप्ति के उपरांत पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति एवं (ii) कि0मी0 27 से 43 में सावधी नवीकरण कार्य से संबंधित निविदा प्राप्ति के उपरांत पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति हेतु नियमानुसार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को समर्पित है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : 08–ता0प्र0–01/2014 1596(S) राँची/दिनांक : 25.2.14

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 249 दिनांक 16.02.2014 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

अनु0 : यथोक्त।

(असीम कुमार सरखेल)
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : 08–ता0प्र0–01/2014 1596(S) राँची/दिनांक : 25.2.14

प्रतिलिपि : उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची /मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

(असीम कुमार सरखेल)
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(81)

श्री संजय कुमार सिंह यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.02.14 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–पथ–09

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री संजय कुमार सिंह यादव, माननीय स0वि0स0	श्री साईमन मराण्डी, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद अनुमण्डल के जपला–छतरपुर पथ से कालापहाड़, महुडंड, कुरदाग होते हुए पाण्डू प्रखण्ड पी0डब्लू0डी0 पथ तक सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित पथ के निर्माण नहीं होने से आम लोगों को आवागमन में काफी परेशानी होती है तथा उक्त सड़क विश्रामपुर, पाण्डु, मोहम्मदगंज तथा उँचारी रोड प्रखण्डों को जोड़ने वाली सड़क है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद अनुमण्डल के जपला–छत्तरपुर पी0डब्ल0डी0 पथ से कालापहाड़, महुडंड, कुरदागा होते हुए पाण्डू प्रखण्ड पी0डब्ल0डी0 पथ तक सड़क का निर्माण कराना चाहती है, हॉ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	मा0 विधायक की अनुशंसा पर वर्तमान वित्तीय वर्ष में अन्य योजना ली गई है। अगले वित्तीय वर्ष में पर्याप्त निधि प्राप्त होने पर ही उक्त योजना की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–331 / 14 ग्रा0का0वि0 731 राँची / दिनांक– 25-02-14

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–585, दिनांक–19.02.14 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/14

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–331 / 14 ग्रा0का0वि0 731 राँची / दिनांक– 25-02-14

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण कार्य विभाग) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/2/14

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–331 / 14 ग्रा0का0वि0 731 राँची / दिनांक– 25-02-14

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/2/14

सरकार के अवर सचिव।

(82)

मान0, स0वि0स0 श्री विद्युत वरण महतो द्वारा दिनांक 26.02.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0– पथ 03 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	**उत्तरदाता** **माननीय मंत्री, प0नि0वि0** **उत्तर**
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1 क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला के मुसाबनी से डुमरिया अस्तिकोवाली, गुड़ाबान्दा होते हुए कोईमा उड़ीसा सीमा तक की सड़क को पथ निर्माण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 12 – 13 में अधिग्रहण किया गया था; 2 क्या यह बात सही है कि इस सड़क के बन जाने से राष्ट्रीय राज्यमार्ग द्वारा एवं इस सड़क से जमशेदपुर से भुवनेश्वर जाने वाले यात्रियों के लिए लगभग 40 – 45 कि0मी0 तक की दूरी कम हो जायेगी ; 3 क्या यह बात सही है कि इस अंचल के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जो उग्रवाद से प्रभावित है को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से इस सड़क का अधिग्रहण किया गया था ; 4 यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	संदर्भित पथ के हस्तांनातरण हेतु ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। उक्त पथ का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी0पी0आर0) तैयार हो गया है। उक्त पथ का पथ निर्माण विभाग अन्तर्गत हस्तांनातरण एवं निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : 08–ता0प्र0–04/2014 1595 (S) राँची/दिनांक : 25.2.14

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 434 दिनांक 18.02.2014 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 : यथोक्त।

(असीम कुमार सरखेल)
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : 08–ता0प्र0–04/2014 1595 (S) राँची/दिनांक : 25.2.14

प्रतिलिपि : उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची /मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(असीम कुमार सरखेल)
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(83)

श्री सरफराज अहमद, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.02.14 को पूछा जानेवाला
तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम्य–25

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री सरफराज अहमद, माननीय स0वि0स0	**श्री साईमन मराण्डी, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।**
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत बेंगाबाद प्रखण्ड में हरला मोड़ से हरलागाँव एवं खुरचुट्टा मोड़ तक रनिया टांड एवं झबरा टांड होते हुए लगभग 07 (सात) कि0मी0 रोड का निर्माण ग्रामीण अभियंत्रण संगठन द्वारा 2012–13 ई0 में करायी गई है;	स्वीकारात्मक। वस्तुतः इस पथ की स्वीकृति टी0–01 से हरला नाम से हुई थी जिसे वर्ष–2012–13 में पूर्ण किया जा चुका है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क निर्माण में घटिया किस्म की सामग्री का व्यवहार किया गया है, जिससे सड़क की गुणवता प्रभावित हुई है,	अस्वीकारात्मक। इस पथ की जाँच एस0क्यू0एम0 / एन0क्यू0एम0 द्वारा की गई है जिसमें कार्य संतोषप्रद पाया गया है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार सड़क निर्माण में व्यवहृत घटिया सामग्री की उच्च स्तरीय जाँच कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नही तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका में उल्लेख कर दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–309 / 14 ग्रा0का0वि0 706 राँची / दिनांक– 24-02-14

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–494, दिनांक–18.02.14 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/14

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–.309 / 14 ग्रा0का0वि0 706 राँची / दिनांक– 24-02-14

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण कार्य विभाग) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

24/2/14

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–309. / 14 ग्रा0का0वि0 706 राँची / दिनांक– 24-02-14

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

24/2/14

सरकार के अवर सचिव।

(84)

श्रीमती सुधा चौधरी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.02.2014 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम–03

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्रीमती सुधा चौधरी, माननीय स0वि0स0	**श्री साईमन मरांडी, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।**
1 क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत प्रखण्ड छत्तरपुर के ग्राम तेलाड़ी से नावाबाजार प्रखण्ड मुख्यालय को जोड़ने वाले ग्रेड–1 ग्रामीण पथ पर ग्राम–तेलाड़ी स्थित टेढ़वा नाला एवं ग्राम खोढ़ी स्थित गोबर कुड़वा नाला पर पुलिया नहीं होने के कारण बरसात के दिनों में जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा आवागमन प्रभावित होता है,	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त नाला पर पुलिया के निर्माण हो जाने से क्षेत्र की दूरी जिला मुख्यालय मेदिनीनगर से 15 कि0मी0 तक घाट जाएगी,	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उपर्युक्त नाला पर मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना से पुलिया स्वीकृति करते हुए निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नांकित पुल वर्त्तमान वित्तीय वर्ष की कार्य योजना में शामिल नहीं है। आगामी वित्तीय वर्ष में बजट की उपलब्धता के आधार पर पुल निर्माण की कार्रवाई पर विचार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग।

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–65 / 2014 / ग्रा0का0 690 राँची, दिनांक–24-02-14

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–259 वि0स0 दिनांक 16.02.2014 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/14

(जनमेजय ठाकुर)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–66 / 2014 / ग्रा0का0 690 राँची, दिनांक–24-02-14

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

24/2/14

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–66 / 2014 / ग्रा0का0 690 राँची, दिनांक– 24.02.14

प्रतिलिपिः– अवर सचिव (प्रभारी विधानमंडलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

24/2/14

सरकार के उप सचिव

85

श्री रामदास सोरेन, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 26.2.14 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–पेय–05 का उत्तर

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –		श्री जयप्रकाश भाई पटेल (विभागीय) मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर –
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला प्रखंडन्तर्गत धरमवहाल, पावड़ा, माउ भण्डार एवं काशीदा पंचायतों की जनसंख्या कमशः लगभग 12000/–, 2500/–, 2500/– एवं 3000/– है और इन पंचायतों में भीषण पेयजल संकट है ?	अस्वीकारात्मक है। i. 2011 की जनगणना के अनुसार धरमबहाल पंचायत की कुल आबादी–6120 व्यक्ति को एक लघु ग्रामीण जलापूर्ति के अतिरिक्त 93 चालू नलकूप द्वारा पेय जलापूर्ति की जाती है। ii. 2011 की जनगणना के अनुसार पावड़ा पंचायत की कुल जनसंख्या–6370 व्यक्ति को धाटशिला ग्रामीण जलापूर्ति योजना, एक लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना के अलावे 68 चालू नलकूप से पेयजलापूर्ति की जाती है। iii. 2011 की जनगणना के अनुसार काशीदा पंचायत की कुल आबादी–6880 व्यक्ति को दो लघु ग्रामीण जलापूर्ति के अतिरिक्त 103 चालू नलकूप से पेयजल उपलब्ध होता है। iv. 2011 की जनगणना के अनुसार माउ भण्डार की कुल आबादी–14317 व्यक्ति है। यहॉ मुख्यतः एच0 सी0 एल0 से जलापूर्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त एक लघु ग्रामीण जलापूर्ति एवं 120 चालू नलकूप से पेयजल उपलब्ध होता है।
2	क्या यह बात सही है कि वर्णित पंचायतों में एक विशाल जलमीनार का निर्माण कर पाईप लाईन द्वारा पेयजलापूर्ति करने से स्थानीय लोगों को पेयजल संकट से निजात मिलेगी ?	कंडिका–1 में वस्तु स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में पेयजल संकट दूर करने हेतु उक्त प्रखं डमें विशाल जलमीनार का निर्माण करने का विचार रखती है, हॉ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–1 में वस्तु स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक–7/ता0प्र0–11/13– 904 दिनांक– 22/2/14

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रॉची के ज्ञापांक–441 दिनांक 18.2.14 के कम में उत्तर की 200 प्रति अग्रसारित।

22.02.14

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

22/02/14

(86)

मान0, स0वि0स0, श्री लक्ष्मण गिलुवा द्वारा दिनांक 26.02.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0– पथ 06 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – क्या यह बात सही है कि पश्चिम सिंहभूम जिलान्तर्गत चक्रधरपुर तथा मनोहरपुर में पथ निर्माण विभाग के अवर प्रमण्डल पदाधिकारी विगत आठ वर्षों से पदस्थापित है ;	अस्वीकारात्मक।
क्या यह बात सही है कि उक्त पदाधिकारी क्षेत्र में नहीं रहते है, जिस कारण विकास कार्य में बाधा उत्पन्न होती है और ये सरकारी आवास का भी दुरूपयोग करते हैं ;	अस्वीकारात्मक।
यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ऐसे पदाधिकारियों के उपर कठोर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पश्चिमी सिंहभुम जिलान्तर्गत चक्रधरपुर अवर प्रमंडल में श्री संदीप कुमार राय, विभागीय अधि0 सं0– 338 एस0 दि0– 18.01.2007 द्वारा पथ अवर प्रमंडल, आनन्दपुर में पदस्थापित थे। मार्च, 09 में उक्त अवर प्रमंडल का विलय अवर प्रमंडल, चक्रधरपुर में हो जाने के फलस्वरूप पथ अवर प्रमंडल, चक्रधरपुर में कार्यरत है। श्री अशोक कुमार रजक, अवर प्रमंडल पदाधिकारी पथ अवर प्रमंडल, मनोहरपुर दिनांक-- 27.05.2007 से सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल, मनोहरपुर में पदस्थापित थे पुनः विभागीय अधि0सं0– 5469 एस0 दिनांक-- 06.08.2008 द्वारा श्री रजक का पदस्थापन अवर प्रमंडल, मनोहरपुर किया गया, जहाँ अब तक कार्यरत हैं।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–08–ता0प्र0–07 / 2014 1605(s) राँची / दिनांक : 25.2.14

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 452 दिनांक 18.02.2014 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

अनु0 : यथोक्त।

(असीम कुमार सरखेल)
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–08–ता0प्र0–07 / 2014 1605(s) राँची / दिनांक : 25.2.14

प्रतिलिपि : उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

(असीम कुमार सरखेल)
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(87)

श्री बड़कुवार गागराई, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.02.14 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न
सं0–ग्राम–11

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री बड़कुवार गागराई, माननीय स0वि0स0	**श्री साईमन मराण्डी, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।**
1. क्या यह बात सही है कि प0 सिंहभूम जिलान्तर्गत कुमारडुंगी प्रखण्ड में कुदाहातु से बामरेदिरी तक एवं टियापोशी से कुदाहातु तक सड़क की स्थिति काफी जर्जर है;	स्वीकारात्मक।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार निधि उपलब्ध कराकर उक्त सड़कों को जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नही तो क्यों?	उक्त योजना में से कुदाहातु से बामरेदिरी पथ निर्माण की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है तथा टियापोशी से कुदाहातु तक के पथ का निर्माण अगले वित्तीय वर्ष में पर्याप्त निधि प्राप्त होने पर ही स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–298 / 14 ग्रा0का0वि0 698 राँची / दिनांक– 24-02-14

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–451, दिनांक–18.02.14 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/14
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–298 / 14 ग्रा0का0वि0 698 राँची / दिनांक– 24-02-14

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण कार्य विभाग) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

24/2/14
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–298 / 14 ग्रा0का0वि0 698 राँची / दिनांक– 24-02-14

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

24/2/14
सरकार के अवर सचिव।

(88)

श्री विदेश सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.02.14 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न
सं0–पथ–10

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री विदेश सिंह, माननीय स0वि0स0	श्री साईमन मराण्डी, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।
1. क्या यह बात सही है कि एन0एच0–75 लहलहे (डाल्टेनगंज सीमा) लेस्लीगंज डेला, धनगाँव पहाड़ी मरूबाग, कुन्दरी तक पथ अत्यन्त जर्जर है जिससे आवागमन में ग्रामीण जनता को काफी कठिनाईयाँ होती है;	स्वीकारात्मक।
2. यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार तक तक उक्त पथ के निर्माण का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों?	मा0 विधायक की अनुशंसा पर वर्तमान वित्तीय वर्ष में अन्य योजना ली गई है। अगले वित्तीय वर्ष में पर्याप्त निधि प्राप्त होने पर ही उक्त योजना की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–330 / 14 ग्रा0का0वि0 732 राँची / दिनांक– 25-02-14

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–587, दिनांक–19.02.14 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/14

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–330 / 14 ग्रा0का0वि0 732 राँची / दिनांक– 25-02-14

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण कार्य विभाग) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/2/14

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–330 / 14 ग्रा0का0वि0 732 राँची / दिनांक– 25-02-14

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/2/14

सरकार के अवर सचिव।

89

दिनांक–26.02.14 को श्री जय प्रकाश सिंह भोगता, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा सदन में उठाये जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–10

तारांकित प्रश्न	उत्तरदाता– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1. क्या यह बात सही है कि चतरा जिलान्तर्गत मयूरहण्ड, गिद्धौर, टण्डवा एंव लावालौंग प्रखण्डों में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का पद रिक्त होने से विकास कार्य बाधित है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि मयूरहण्ड एवं टण्डवा प्रखण्ड रिक्त है। मयूरहण्ड में परीक्ष्यमान उप समाहर्त्ता प्रभार में है। टण्डवा में अंचलाधिकारी अतिरिक्त प्रभार में है। गिद्धौर एवं लावालौंग में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अधिसूचित हैं।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्डों में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को पदस्थापित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के रिक्त पदों पर पदस्थापन हेतु विभागीय पत्रांक–657 दिनांक–30.01.14 तथा पत्रांक–1079 दिनांक–19.02.14 द्वारा झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारियों की सेवा की मांग की गई है। सेवा प्राप्त होने पर पदस्थापित की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक–1–वि0स0–07/2014/ग्रा0वि0 1333 राँची, दिनांक– 25·02·14

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झा0 वि0 स0 सचिवालय को उनके ज्ञाप–449 दिनांक–18.02.2014 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/14

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– वि0स0–07/2014/ग्रा0वि0 1333 राँची, दिनांक– 25·02·14

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री ,ससदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) के आप्त सचिव, /प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/2/14

सरकार के अवर सचिव।

(90)

श्री संजय कुमार सिंह यादव, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–न–09 की उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
1) क्या यह बात सही है पलामू जिला अन्तर्गत हुसैनाबाद अधिसूचित क्षेत्र के चनैनी पर, मोहम्मदाबाद, पुरन्दर बिगहा, मिर्जापुर, कनवा बिगहा, दातानगर, वार्ड सं0 01 के कृष्णानगर में सामुदायिक भवन का निर्माण नहीं कराया गया है।	1) स्वीकारात्मक है।
2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थानों पर सामुदायिक भवन के अभाव में जनता को काफी परेशानी होती है।	2 स्वीकारात्मक है।
3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार उक्त स्थानों पर सामुदायिक भवन का निर्माण कराना चाहती है, यदि हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	3) वित्तीय वर्ष 2013–14 में हुसैनाबाद नगर पंचायत को नागरिक सुविधा मद से कुल 57,12,716/–रूपये आवंटित किये गये हैं। आवंटित राशि से निकाय द्वारा सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जा सकता है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास विभाग

ज्ञापांक :–6/न0वि0/विधान सभा (तारांकित)–17/2014 – 854 ....., राँची, दिनांक 25-02-14

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखंड विधान सभा के ज्ञाप सं0 प्र0–584 वि0स0, राँची, दिनांक–19.02.2014 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(91)

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, माननीय सदस्य विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न–न–01 का उत्तरः–

सूचना	उत्तर
1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2005 में श्मशान घाट देवघर के जिर्णोद्धार हेतु 25 (पच्चीस) लाख रूपये की निकासी की गई थी;	अस्वीकारात्मक है। वर्ष 2005 में श्मशान घाट देवघर में जिर्णोद्धार कार्य हेतु 25 लाख रूपये की निकासी नहीं हुई थी।
2) क्या यह बात सही है कि खण्ड–(1) में वर्णित घाट के जिर्णोद्धार मद की राशि निकासी कर उक्त घाट का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है; जिसके कारण बरसात में शवों का दाह संस्कार करने आये लोगों को काफी परेशानी होता है;	अस्वीकारात्मक है। वर्णित जिर्णोद्धार कार्य नागरिक सुविधा मद से वर्ष 2009–10 में किया गया है, जिसमें श्मशान घाट में शव जलाने के लिए चार अद्द शेड निर्माण हेतु 414027.00 रू० नगर निगम क्षेत्र में श्मशान घाट में 04 अद्द प्रतिक्षालय निर्माण कार्य हेतु 912928.00 एवं श्माशान घाट के चारों तरफ चाहरदीवारी निर्माण कार्य हेतु 1427193.00 रूपये का कार्य का एकरारनामा किया गया था। उक्त जिर्णोद्धार कार्य में कोरेगेटेड शीट लगाने का कार्य अधूरा है, अन्य सभी कार्य पूर्ण है।
3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–(1) में वर्णित घाट का जिर्णोद्धार चालू वित्तीय वर्ष में कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	कोरेगेटेड शीट लगाने का कार्य 31 मार्च, 2014 तक पूर्ण कर ली जायेगी।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास विभाग

ज्ञापांकः– 5 / न0वि0 / वि0स0तां0–06 / 2014 -801. / न0वि0वि0 राँची, दिनांक :– 22-02-14.

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके पत्र सं0–248, दिनांक–16.02.14 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/2/2014
सरकार के उप सचिव।

(92)

श्री अरूण मंडल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.02.2014 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम्य–12

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री अरूण मंडल, माननीय स0वि0स0	**श्री साईमन मरांडी, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।**
1 क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिलान्तर्गत उधवा प्रखण्ड के दक्षिण बेगमगंज पंचायत में राजेन्द्र सिंह के घाट समीप तीन मोहाने उधवा नाला नदी पर पुल निर्माण नहीं होने से यातायात बाधित है, जिससे पचीस हजार जनता प्रभावित है,	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नांकित पुल का D.P.R. तैयार किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग।

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–58 / 2014 / ग्रा0का0 694 राँची, दिनांक– 24-02-14

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–239 वि0स0 दिनांक 16.02.2014 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/14

(जनमेजय ठाकुर)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–58 / 2014 / ग्रा0का0 694 राँची, दिनांक– 24-02-14

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

24/2/14

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–58 / 2014 / ग्रा0का0 694 राँची, दिनांक– 24-02-14

प्रतिलिपिः– अवर सचिव (प्रभारी विधानमंडलीय कार्य), ग्रामीण कार्य पिभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

24/2/14

सरकार के उप सचिव

(93)

मान0, स0वि0स0, श्री अरूप चटर्जी द्वारा दिनांक 26.02.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0– पथ 08 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1 क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत निरसा प्रखण्ड के कुमारधुबी ओल्ड जी0टी0 रोड पर एक रेल ओभर ब्रीज बनाना प्रस्तावित है एवं इसका डी0पी0आर0 भी बन चुका है, परन्तु आज दिनांक 14.02.2014 तक भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है ; 2 यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार अविलम्ब उक्त महत्त्वकांक्षी योजना को प्रारंभ कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक। (i) राज्य सरकार द्वारा विषयगत ROB का पुनरीक्षित General Arrangement Drawing (GAD) दिनांक 25.10.2013 को एवं ROB निर्माण का विस्तृत Cost Estimate नक्शा सहित दिनांक 10.02.2014 को पूर्वी रेलवे को स्वीकृति हेतु भेजा गया है। (ii) पूर्वी रेलवे द्वारा दिनांक 10.02.2014 को सूचित किया गया है कि विषयगत ROB Dhankuni-Dhanbad Dedicated Freight Corridor Alignment में पड़ता है तथा रेल मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन Dedicated Freight Corridor Corportion of India Ltd. (DFCCIL) के परामर्श से पूर्वी रेलवे द्वारा GAD finalise किया जायेगा। पूर्वी रेलवे से GAD एवं Cost Estimate की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत निर्माण कार्य हेतु राज्यांश पूर्वी रेलवे को हस्तांतरित किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : 08–ता0प्र0–09 / 2014 1592 (S) राँची / दिनांक : 25.2.14

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 498 दिनांक 18.02.2014 के प्रसंग प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 : यथोक्त।

(असीम कुमार सरखेल)
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : 08–ता0प्र0–09 / 2014 1592 (S) राँची / दिनांक : 25.2.14

प्रतिलिपि : उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(असीम कुमार सरखेल)
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(74)

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.02.14 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम्य–02

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, माननीय स0वि0स0	**श्री साईमन मराण्डी, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।**
1. क्या यह बात सही है कि रांची जिला के खेलारी प्रखण्ड अन्तर्गत मैक्लुस्कीगंज रेलवे क्रासिंग से दामोदर पुल तक भाया हेसालौंग पथ की स्थिति अत्यंत जर्जर है;	स्वीकारात्मक। प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत निर्माण कार्य को क्रियान्वित करने के लिए निविदा प्रकाशित कर दी गई है।
2. क्या यह बात सही है कि जर्जर पथ के कारण आस–पास के दर्जनों गाँवों के ग्रामीणों एवं किसानों को हाट बाजार आने–जाने में काफी कठिनाई होती है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार जनहित में उक्त पथ का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराने का विचार रखती है, हॉ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका में उल्लेख कर दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–273 / 14 ग्रा0का0वि0 705 राँची / दिनांक– 24-02-14

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–205, दिनांक–14.02.14 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–.273 / 14 ग्रा0का0वि0 705 राँची / दिनांक– 24-02-14

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण कार्य विभाग) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–273 / 14 ग्रा0का0वि0 705 राँची / दिनांक– 24-02-14

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

श्री के0एन0 त्रिपाठी, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0-न-04 का उत्तरः-

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि मेदिनीनगर पेयजल आपूर्ति योजना, फेज-2 का 52 करोड़ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है परन्तु अभी तक इसकी निविदा नहीं निकाली गई है;	अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि मेदिनीनगर शहरी जलापूर्ति योजना फेज-2 पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा 5432.77 लाख रू0 की प्राक्कलित राशि पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है । *Jn*NURM के अधीन Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Towns (UIDSSMT) घटक अन्तर्गत स्वीकृति हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को दिनांक-27.01.14 को प्रेषित किया गया है । भारत सरकार की स्वीकृति के उपरांत उक्त योजना के विरूद्ध केन्द्रांश की राशि प्राप्त होने पर निविदा प्रकाशित कर योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मार्च, 2014 में इसकी निविदा कराकर कार्य प्रारम्भ कराना चाहती है, हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका-1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

पत्रांक-3/न0वि0/वि0स0प्र0(तारांकित)-07/2014.................

झारखण्ड सरकार

नगर विकास विभाग

ज्ञापांक-799.   राँची, दिनांक-22-02-14.

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके पत्रांक-437 दिनांक-18.02.14 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियें के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

22.2.14

सरकार के अवर सचिव ।

मान0, स0वि0स0, श्री जगरनाथ महतो द्वारा दिनांक 26.02.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0– ग्राम – 02 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1 क्या यह बात सही है कि धनबाद गया रेलखण्ड में बलथरिया और रतिडीह के बीच (निमिया घाट स्टेशन के पूरब) ओबर ब्रिज का निर्माण नहीं होने से आम लोगों को काफी असुविधा होती है ; 2 यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त स्थल पर ओवर ब्रिज निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	धनबाद गया रेलखण्ड में बलथरिया और रतिडीह के बीच (निमिया घाट स्टेशन के पूरब) रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है और न ही इस संबंध में कोई प्रस्ताव पूर्व में प्राप्त हुआ है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : 08–ता0प्र0–03 / 2014 1590 (S) राँची / दिनांक : 25 · 2 · 14

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 257 दिनांक 16.02.2014 प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्र हेतु प्रेषित् ।

अनु0 : यथोक्त ।

(असीम कुमार सरखेल)
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक : 08–ता0प्र0–03 / 2014 1590 (S) राँची / दिनांक : 25 · 2 · 14

प्रतिलिपि : उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित् ।

(असीम कुमार सरखेल)
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची ।

(97)

मान0, स0वि0स0, श्री रामचन्द्र बैठा द्वारा दिनांक 26.02.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0– पथ 11 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	**उत्तरदाता** **माननीय मंत्री, प0नि0वि0** **उत्तर**
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1 क्या यह बात सही है कि काँके प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम चन्दवे से विकास विद्यालय तक पथ का निर्माण कार्य विगत तीन वर्षों से अधूरा पड़ा है ; 2 यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार ग्राम – चन्दवे से विकास विद्यालय तक पथ का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	संदर्भित कार्य का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) योजना एवं अन्वेषण प्रमण्डल, राँची द्वारा तैयार की गयी है, जिसमें उक्त पथ के कि0मी0 0.00 से 10.675 कि0मी0 तक पथ का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य प्रस्तावित है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : 08–ता0प्र0–12/2014 1591 (S) राँची/दिनांक : 25.2.14

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 588 दिनांक 19.02.2014 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 : यथोक्त।

(हस्ताक्षर) 25/2

(असीम कुमार सरखेल)
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : 08–ता0प्र0–12/2014 1591 (S) राँची/दिनांक : 25.2.14

प्रतिलिपि : उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची /मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 25/2

(असीम कुमार सरखेल)
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(98)

दिनांक–26.02.14 को श्री लक्ष्मण गिलुवा, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा सदन में उठाये जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–07

तारांकित प्रश्न	उत्तरदाता– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1. क्या यह बात सही है कि प0 सिंहभूम जिलान्तर्गत टोकलो एवं कराईकेला को नया प्रखण्ड बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि टोकलो का अपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त है। कराईकेला का प्रस्ताव प्राप्त नहीं है।
2. क्या यह बात सही है कि ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्र सं0–6581 दि0–27.10.2011 द्वारा विहित प्रक्रिया निरोपित करते हुए पत्रांक–1201 दि0–28.02.2012 द्वारा स्थानीय जन प्रतिनिधियों के विचार विमर्श कर कराईकेला एवं टोकलो के नया प्रखण्ड सृजन का नया प्रस्ताव माना गया था।	स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार टोकलो एवं कराईकेला को नया प्रखण्ड बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विधिवत प्रस्ताव प्राप्त होने पर टोकलो एवं कराईकेला को प्रखण्ड का दर्जा देने पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक–1–वि0स0–08 / 2014 / ग्रा0वि0 1327 राँची, दिनांक– 25.02.14

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झा0 वि0 स0 सचिवालय को उनके ज्ञाप–261 दिनांक–16.02.2014 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/14
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– वि0स0–08 / 2014 / ग्रा0वि0 1327 राँची, दिनांक– 25-02-14

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री ,संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/2/14
सरकार के अवर सचिव।

(११)

श्री सौरभ नारायण सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा चालू अधिवेशन में दिनांक 26.02.14 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–पेय–09 का उत्तरः–

प्रश्न	उत्तर
1) क्या यह बात सही है कि हजारीबाग नगरपालिका क्षेत्र को कोनार डैम से पानी उपलब्ध कराने के लिए पी0एच0ई0डी0 द्वारा डी0पी0आर0 बनाया जा रहा है।	1) स्वीकारात्मक है। अभियंता प्रमुख, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा हजारीबाग शहरी जलापूर्त्ति योजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detailed Project Report) तैयार करने हेतु परामर्शी नियुक्त करने की कार्रवाई की जा रही है।
2) क्या यह बात सही है कि पी0एच0ई0डी0 के द्वारा हजारीबाग नगरपालिका क्षेत्र के बहुत से वार्डों जैसे वार्ड नं0–13,16,17,18,19,20,4,12,15,28 के कुछ मुहल्लों को पानी नहीं मिल पाता है,	2) आंशिक स्वीकारात्मक है। छड़वा डैम से जलापूर्त्ति योजना के पुराने हो जाने एवं नये मुहल्ले बस जाने से नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत वार्ड सं0–13,16,17,18,19,20,4,12,15,28 के कुछ क्षेत्रों में जलापूर्त्ति नियमित रूप से नहीं मिल पाता है।
3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार डी0पी0आर0 में उपर वर्णित वार्डो के मुहल्ला को शामिल करते हुए पानी उपलब्ध कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3) सरकार डी0पी0आर0 में सभी वार्डों के मुहल्ला को शामिल करते हुए पानी उपलब्ध कराना चाहती है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त DPR, भूमि की उपलब्धता एवं संबंधित विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर प्रशासनिक स्वीकृति एवं राशि विमुक्ति की कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास विभाग

ज्ञापांक :–5/न0वि0/ तारांकित–15/2014 –858. ,राँची, दिनांक 25-02-14.

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके पत्र सं0–543 वि0स0, राँची, दिनांक–19.02.2014 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(100)

श्री अनन्त प्रताप देव, मा0 स0 वि0 स0 से प्राप्त दिनांक 26.02.14 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–पेय–01.

	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	श्री जयप्रकाश भाई पटेल (विभागीय) मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर –
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला अंतर्गत नगर उटारी अनुमण्डल में शुद्ध पेयजल सुविधा हेतु पानी टंकी का निर्माण कार्य नहीं हो पाया है ?	स्वीकारात्मक है। नगर उटारी अनुमण्डल मुख्यालय में इनफीलट्रेशन वेल तथा ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से सीधी शुद्ध पेयजलापूर्ति की जा रही है।
2	यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार नगर उटारी अनुमण्डल में पानी टंकी का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	योजना के पुनर्गठन हेतु जलमीनार के प्रावधान के साथ प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी जॉच की जा रही है। अगले वित्तीय वर्ष में योजना का कार्यान्वयन प्रारंभ किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक–7/ता0प्र0–09/13– 845 दिनांक– 20/2/14

प्रतिलिपि– झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–202 दिनांक 14.2.14 के क्रम में उत्तर की 200 प्रति अग्रसारित।

20.02.14

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव
20/2/14

(101)

श्री सरफराज अहमद, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.02.14 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम्य–26

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री सरफराज अहमद, माननीय स0वि0स0	**श्री साईमन मराण्डी, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।**
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला में गाण्डे प्रखण्डान्तर्गत गाण्डे पी0डब्ल्यू0डी0 रोड से चरघरा गाँव तक आर0ई0ओ0 द्वारा लगभग 06 (छः) कि0मी0 रोड का निर्माण कराया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुतः इस पथ का कार्य पूर्व में ही पूर्ण हो चुका है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क निर्माण में घटिया समानों का व्यवहार किया जा रहा है, जिसमें सड़क की गुणवता प्रभावित होती है,	अस्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार सड़क उक्त सड़क में उपयोग की जा रही घटिया सामग्री की गुणवत्ता की जाँच करवाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नही तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका में उल्लेख कर दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–.310 / 14 ग्रा0का0वि0 701 राँची / दिनांक– 24-02-14

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–493, दिनांक–18.02.14 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–310 / 14 ग्रा0का0वि0 701 राँची / दिनांक– 24-02-14

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण कार्य विभाग) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–310 / 14 ग्रा0का0वि0 701 राँची / दिनांक– 24-02-14

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

102

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.02.14 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम्य–07

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, माननीय स0वि0स0	श्री साईमन मराण्डी, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।
1. क्या यह बात सही है कि वर्ष–2009 में तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, चाईबासा की शिकायत पर उपायुक्त, प0 सिंहभूम (चाईबासा) द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद–01 कनीय अभिंयता, गोईलकेरा द्वारा मनोहरपुर गोईलकेरा एवं सोनवा प्रखण्ड की योजनाओं में गबन के मामले में श्री मनन सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, चक्रधरपुर की अध्यक्षता में जॉच एवं मुल्यांकण टीम का गठन की गई थी;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–(1) में वर्णित टीम द्वारा तत्कालीन उपायुक्त, प0 सिंहभूम को सौपे गये जॉच एवं मुल्यांकण प्रतिवेदन में खण्ड–(1) में वर्णित कनीय अभिंयता पर करोड़ों रूपये की राशि के गबन की मामला प्रकाश में आने के बावजूद उक्त अभियंता पर अबतक विधि सम्मत कार्रवाई लंबित है;	तत्कालीन कार्यपालक अभिंयता द्वारा योजनाओं का जांच प्रतिवेदन उपायुक्त महोदय को सौंप दिया गया था।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त कनीय अभियंता पर विधि सम्मत कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपायुक्त, प0 सिंहभूम को जांच प्रतिवेदन के आधार पर कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत कराने का निदेश दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–297 / 14 ग्रा0का0वि0 730 राँची / दिनांक– 25-02-14

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–287, दिनांक–16.02.14 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/14
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–297 / 14 ग्रा0का0वि0 730 राँची / दिनांक– 25-02-14

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण कार्य विभाग) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/2/14
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–297 / 14 ग्रा0का0वि0 730 राँची / दिनांक– 25-02-14

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/2/14
सरकार के अवर सचिव।

दिनांक--26.02.14 को श्री समरेश सिंह, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा सदन में उठाये जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0--ग्राम--04

तारांकित प्रश्न	उत्तरदाता-- माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1. क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत पिण्ड्राजोरा, बरमसिया, माराफारी, अमलाबाद, खैराचातर को प्रखण्ड बनाने की सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गयी है।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्डों का निर्माण जनहित एंव विकास के दृष्टिकोण से अतिआवश्यक है।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात नये प्रखण्ड सृजन की आवश्यकता का आकलन किया जा सकता है।
3. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तुरन्त पिण्ड्राजोरा, बरमसिया, माराफारी, अमलाबाद एंव खैराचातर को प्रखण्ड बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	यथा, खण्ड--1 एवं 2 के अनुरूप।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक--1--वि0स0--06/2014/ग्रा0वि0 1330 राँची, दिनांक-- 25.02.14

प्रतिलिपिः-- उप सचिव, झा0 वि0 स0 सचिवालय को उनके ज्ञाप--260 दिनांक--16.02.2014 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/14

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-- वि0स0--06/2014/ग्रा0वि0 1330 राँची, दिनांक-- 25.02.14

प्रतिलिपिः-- माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री ,संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) के आप्त सचिव, /प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/2/14

सरकार के अवर सचिव।

104

दिनांक–26.02.14 को श्री हरिकृष्ण सिंह, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा सदन में उठाये जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–17

तारांकित प्रश्न	उत्तरदाता– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1. क्या यह बात सही है लातेहार जिलान्तर्गत मनिका प्रखण्ड में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का पद रिक्त है, जिससे आम आदमी को प्रखण्ड कार्यालय के काम–काज में काफी कठिनाई हो रही है और विकास कार्य बाधित है,	आंशिक स्वीकारात्मक है। वर्त्तमान में बरवाडीह प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अतिरिक्त प्रभार में हैं।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या मनिका प्रखण्ड में विकास पदाधिकारी का पदस्थापन करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो ?	प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के रिक्त पदों पर पदस्थापन हेतु विभागीय पत्रांक–657 दिनांक–30.01.14 तथा पत्रांक–1079 दिनांक–19.02.14 द्वारा झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारियों की सेवा की मांग की गई है। सेवा प्राप्त होने पर पदस्थापन किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक–1–वि0स0–15/2014/ग्रा0वि0 1298 राँची, दिनांक– 25.02.14

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झा0 वि0 स0 सचिवालय को उनके ज्ञाप–511 दिनांक–19.02.2014 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/14

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– वि0स0–15/2014/ग्रा0वि0 1298 राँची, दिनांक– 25.02.14

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री ,संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) के आप्त सचिव /प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

24/2/14

सरकार के अवर सचिव।

(105)

श्री बड़कुवार गागराई, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.02.14 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न
सं0–ग्राम–12

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री बड़कुवार गागराई, माननीय स0वि0स0	**श्री साईमन मराण्डी, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।**
1. क्या यह बात सही है कि प0 सिंहभूम जिलान्तर्गत कुमारडुंगी ग्राम–अंधारी से धनसारी तक एवं नागासाई से कुन्डियाधर तक सड़क की स्थिति काफी जर्जर है;	स्वीकारात्मक।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार निधि उपलब्ध कराकर उक्त सड़कों को जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नही तो क्यों?	वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त योजना लिया जाना संभव नहीं है। अगले वित्तीय वर्ष में पर्याप्त निधि प्राप्त होने पर ही विचार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–297 / 14 ग्रा0का0वि0 708 राँची / दिनांक– 24-02-14

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–450 दिनांक–18.02.14 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/14
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–297 / 14 ग्रा0का0वि0 708 राँची / दिनांक– 24-02-14

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण कार्य विभाग) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

24/2/14
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–297 / 14 ग्रा0का0वि0 708 राँची / दिनांक– 24-02-14

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

24/2/14
सरकार के अवर सचिव।

106

श्री हेमलाल मुर्मू, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा चलते अधिवेशन में तिथि--26.02.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0--न-- 02 की उत्तर :--

प्रश्न	उत्तर
1) क्या यह बात सही है कि रांची नगर निगम के वार्ड एक ग्रीन एवेन्यू डैम साईड रोड नं0--2 गाँधी नगर, काँके रोड में नाली निर्माण का कार्य एक वर्ष से अधिक समय से शुरू होकर बन्द कर दिया गया है जिसके कारण उक्त मुहल्ला के निवासी जल जमाव, गंदगी, नाली एवं सड़क जाम, बीमारी आदि समस्याओं से ग्रसित है।	1) स्वीकारात्मक है।
2) क्या यह बात सही है कि उक्त समस्या के संबंध में दैनिक हिन्दुस्तान में समाचार प्रकाशित हुआ, स्थानीय निवासियों द्वारा राँची नगर निगम के संबंधित पदाधिकारियों से लिखित एवं मौखिक कई शिकायतें की गई और इस संबंध में विभागीय मंत्री द्वारा आदेश निर्गत करने के बाद भी रांची नगर निगम द्वारा समस्या का निष्पादन नहीं किया जा रहा है।	2) आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची नगर निगम द्वारा विद्युत पोल हटाने (Shift) हेतु कार्यपालक अभियंता विद्युत को कई पत्र लिखा गया।
3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार उपर्युक्त वर्णित स्थान पर शीघ्र नाली निर्माण कार्य पूरा कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3) नाली निर्माण क्षेत्र में अवस्थित विद्युत पोल को विद्युत बोर्ड द्वारा स्थानांतरित करने के बाद कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास विभाग

ज्ञापांक :--5/न0वि0/ ता0--07/2014 -855 ,राँची, दिनांक :-- 25-02-14

प्रतिलिपि :-- अवर सचिव, झारखंड विधान सभा के ज्ञाप सं0 प्र0--439 वि0स0, राँची, दिनांक--18.02.2014 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

U.D.D. Hall :/D.drive/Bidhan Sabha -Mu- 92

(107)

मान0, स0वि0स0, श्री जयप्रकाश सिंह ~~भोक्ता~~ द्वारा दिनांक 26.02.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0– पथ 05 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1 क्या यह बात सही है कि चतरा जिलान्तर्गत प्रखण्ड ईटखोरी से चतरा तक पथ अत्यन्त जर्जर है ; 2 क्या यह बात सही है कि पथ का निर्माण कार्य विगत दो वर्षों से अधुरा पड़ा है ; 3 यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ईटखोरी से चतरा तक की पथ का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	संदर्भित पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु दो भाग (कि0मी0 10 से 27 एवं कि0मी0 28 से 49.2) में संवेदक से एकरारनामा किया गया। संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गयी है, जो विचाराधीन है। जिससे कारण चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य अपूर्ण है। यातायात को सुगम करने हेतु वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में कि0मी0 0.00 से 46 में साधारण मरम्मति कार्य एवं कि0मी0 47 से 49.2 तक विशेष मरम्मति का कार्य कराया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : 08–ता0प्र0–06/2014 1593 (S) राँची/दिनांक : 25·2·14

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान--सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 433 दिनांक 18.02.2014 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित् ।

अनु0 : यथोक्त ।

(असीम कुमार सरखेल)
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक : 08–ता0प्र0–06/2014 1593 (S) राँची/दिनांक : 25·2·14

प्रतिलिपि : उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची /मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित् ।

(असीम कुमार सरखेल)
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची ।

(108)

श्री उमाकान्त रजक, स0 वि0 स0 से प्राप्त दिनांक 26.02.14 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–पेय–04.

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –		श्री जयप्रकाश भाई पटेल (विभागीय) मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर –
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के चन्दनकियारी प्रखंड अंतर्गत सीतानाला, शिवबाबूडीह एवं मानपुर में शुद्ध पेयजल सुविधा का घोर अभाव है, जिससे ग्रामीणों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है,	1–अस्वीकारात्मक है वर्त्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार सीतानाला की आबादी–560 है, जिन्हें 10 अदद चालू नलकूप से पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त एक लघु ग्रामीण जलापूर्ति भी है, जो VWSC को हस्तान्तरित है, जो विद्युत तार की चोरी हो जाने कारण तत्काल बंद है। जलापूर्ति चालू कराने की कार्रवाई की जा रही है। 2– शिवबाबूडीह की आबादी–2011 की जनगणना के अनुसार–1568 है, जिन्हें 21 अदद चालू नलकूप से पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। 3– मानपुर की आबादी–2011 की जनगणना के अनुसार–1564 है, जिन्हें 15 अदद चालू नलकूप से पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही एक लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना द्वारा भी जलापूर्ति की जाती है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना के तहत उक्त गॉवों के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना चाहती है, हॉ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–1 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक–7/ता0प्र0–08/13– 844 दिनांक– 20/2/14

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–235/वि0स0 दिनांक 16.2.14 के कम में उत्तर की 200 प्रति प्रेषित।

20.02.14
(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव
20/02/14

(109)

श्री कमलेश उराँव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.02.14 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न
सं0–ग्राम्य–24

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री कमलेश उराँव, माननीय स0वि0स0	श्री साईमन मराण्डी, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।
1. क्या यह बात सही है कि गुमला जिलान्तर्गत रायडीह प्रखण्ड के एन0एच0–78 से आदर्श ग्राम सलकाया तक पथ जर्जर है;	स्वीकारात्मक। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में निर्धारित विभागीय नीति के आलोक में रायडीह प्रखण्डन्तर्गत मा0 स0वि0स0 द्वारा अनुशंसित भजमंडा अम्बाटोली बॉसदेव कोना होते हुए साईटोली तक पथ निर्माण के योजना को स्वीकृति दिया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त पथ के जर्जर होने से आवागमन में असुविधा होती है;	स्वीकारात्मक। पथ का निर्माण 2007–08 में एन0एच0–78 से आदर्श ग्राम सलकाया तक कराया गया था।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त पथ की मरम्मती कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नही तो क्यों?	अगले वित्तीय वर्ष में निर्धारित नीति एवं पर्याप्त राशि के उपलब्धता के आधार पर योजना लेने पर विचार हो सकेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–306 / 14 ग्रा0का0वि0 707 राँची / दिनांक– 24-02-14

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–495, दिनांक–18.02.14 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/14
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–306 / 14 ग्रा0का0वि0 707 राँची / दिनांक– 24-02-14

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण कार्य विभाग) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

24/2/14
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–306 / 14 ग्रा0का0वि0 707 राँची / दिनांक– 24-02-14

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

24/2/14
सरकार के अवर सचिव।

(110)

श्री अरुप चटर्जी, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक– 26.02.14 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्याः पेय–08

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री जयप्रकाश भाई पटेल (विभागीय) मंत्री द्वारा दिये जाने वाला उत्तर –
	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला अन्तर्गत निरसा एवं गोविन्दपुर प्रखण्ड के 446 राजस्व ग्रामों में पाईप लाईन से जलापूर्ति योजना का प्राक्कलन बनकर तैयार है, डी0भी0आर0सी0 अनुमति दे चुका है एवं तकनीकी स्वीकृति भी मिल गई है, परन्तु आज दिनांक– 13.02.2014 तक इस योजना पर कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है।	आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है। निरसा एवं गोविन्दपुर प्रखण्ड के अंतर्गत सभी राजस्व ग्रामों में पाईप लाईन से जलापूर्ति योजना की डी0 पी0 आर0 प्राप्त है, डी0 पी0 आर0 की जाँच प्रकियाधीन है, डी0 पी0 आर0 पर तकनीकी स्वीकृति देते हुए प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार का आदेश प्राप्त किया जाएगा।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार अविलम्ब उक्त महत्वाकांक्षी योजना पर निर्माण कार्य प्रारंभ कराने की विचार रखती है, तो यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त उक्त योजना को कियान्वित वित्तीय वर्ष 2014–15 में किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक –08/ता0प्र0–13/2013 905 /राँची, दिनांक –22/2/14

प्रतिलिपि– झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांक – 490 दिनांक – 18.02.2014 के कम 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.02.14
(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।
22/02/14

श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.02.14 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम्य–11

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0	श्री साईमन मराण्डी, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।
1. क्या यह बात सही है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी0एम0जी0एस0वाई0) से वित्तीय वर्ष 2013–14 में दुमका एवं देवघर जिले के क्रमशः सरैयाहाट एवं करों सहित अन्य प्रखण्डों का काम NBCC को दिया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। दुमका जिले के सरैयाहाट में NBCC को कार्य सौपा गया है। देवघर के करों प्रखण्ड में इस ऐजेंसी को कार्य नहीं सौपा गया है।
2. क्या यह बात सही है कि NBCC ने जिस एजेन्सी को काम आवंटित किया है उस एजेन्सी ने भी उपरोक्त कार्य तीसरे एजेन्सी को काम दिया है, जिससे कार्य की गुणवता प्रभावित हो रही है;	एन0बी0सी0सी0 द्वारा पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत आवंटित एजेंसी के अलावा भी अन्य एजेंसी द्वारा कार्य किया जा रहा है इसकी जानकारी विभाग को नहीं प्राप्त है। हालांकि 25 प्रतिशत तक का कार्य मानक निविदा प्रपत्र (Standard Binding Document) के अनुसार अन्य एजेंसी को Sublet किया जा सकता है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपरोक्त निर्माण कार्यों का उच्च स्तरीय जॉच कराने का विचार रखती है, हॉ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	SBD के प्रावधानों के विरूद्ध कार्य संपादित किए जाने पर ही जॉच संभव है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–285 / 14 ग्रा0का0वि0 700 राँची / दिनांक– 24.02.14

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–241, दिनांक–16.02.14 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–285 / 14 ग्रा0का0वि0 700 राँची / दिनांक– 24.02.14

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण कार्य विभाग) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–285. / 14 ग्रा0का0वि0 700 राँची / दिनांक– 24.02.14

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

(112)

श्री फूलचंद मंडल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.02.14 को पूछा जानेवाला तारांकित

प्रश्न सं0–ग्राम्य–09

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री फूलचंद मंडल, माननीय स0वि0स0	श्री साईमन मराण्डी, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के बलियापुर प्रखण्ड अन्तर्गत बलियापुर पतलाबाड़ी–P.W.D रोड से दुधिया बड़ा नियामतपुर पथ की स्थिति अत्यंत की जर्जर है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि इस पथ से प्रतिदिन लगभग सैकड़ों वाहनों एवं ग्रामीणों का अवागमन होता है तथा यह पथ प्रखण्ड के कई ग्रामों व पंचायतो को प्रखण्ड मुख्यालय से जोड़ती है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो राज्य सरकार उक्त पथ का निर्माण चालु वित्तीय वर्ष में कराना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त योजना लिया जाना संभव नहीं है। अगले वित्तीय वर्ष में पर्याप्त निधि प्राप्त होने पर ही विचार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–274 / 14 ग्रा0का0वि0 709 राँची / दिनांक– 24-02-14

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–244, दिनांक–16.02.14 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/14

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–274 / 14 ग्रा0का0वि0 709 राँची / दिनांक– 24-02-14

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण कार्य विभाग) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

24/2/14

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–274 / 14 ग्रा0का0वि0 709 राँची / दिनांक– 24-02-14

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

24/2/14

सरकार के अवर सचिव।

(113)

श्री रामचन्द्र बैठा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.02.14 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न

सं0–ग्राम–18

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री रामचन्द्र बैठा, माननीय स0वि0स0	श्री साईमन मराण्डी, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।
1. क्या यह बात सही है कि राँची जिला के कॉके प्रखण्ड के ग्राम–सुकूरहुटू निचे टोला से गागी तक सड़क जर्जर स्थिति में है तथा चौड़ीकरण की आवश्यकता है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क से सैकड़ों ग्रामीण जनता एवं कृषक आवागमन करते हैं;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में उक्त पथ की मरम्मति एवं चौड़ीकरण कराना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त योजना लिया जाना संभव नहीं है। अगले वित्तीय वर्ष में पर्याप्त निधि प्राप्त होने पर ही विचार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–325 / 14 ग्रा0का0वि0 729 राँची / दिनांक– 25-02-14

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–587, दिनांक–19.02.14 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/14

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–325 / 14 ग्रा0का0वि0 729 राँची / दिनांक– 25-02-14

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण कार्य विभाग) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/2/14

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–325 / 14 ग्रा0का0वि0 729 राँची / दिनांक– 25-02-14

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/2/14

सरकार के अवर सचिव।

(114)

श्री अनन्त प्रताप देव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.02.2014 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम–01

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री अनन्त प्रताप देव, माननीय स0वि0स0	**श्री साईमन मरांडी, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।**
1 क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिलान्तर्गत बिशुनपुरा प्रखण्ड में ग्राम जतपुरा एवं ग्राम पीपरीकला के बीच बांकी नदी पर अभी तक पुल का निर्माण कार्य नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से बरसात के दिनों में ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाई होती है,	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त नदी पर पुल निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नांकित पुल वर्त्तमान वित्तीय वर्ष की कार्य योजना में शामिल नहीं है। आगामी वित्तीय वर्ष में बजट की उपलब्धता के आधार पर पुल निर्माण की कार्रवाई पर विचार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग।

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–64 / 2014 / ग्रा0का0 689 राँची, दिनांक–24-02-14

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–204 वि0स0 दिनांक 14.02.2014 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/14

(जनमेजय ठाकुर)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–64 / 2014 / ग्रा0का0 689 राँची, दिनांक–24-02-14

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

24/2/14

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–64 / 2014 / ग्रा0का0 689 राँची, दिनांक–24-02-14

प्रतिलिपिः– अवर सचिव (प्रभारी विधानमंडलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

24/2/14

सरकार के उप सचिव